Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 28, 2022 (ASADHA 7, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जून, 2022

संख्या 37/जीएसटी–2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 148 के साथ पठित धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिन्हें प्ररूप जीएसटीआर–8 में विवरण दाखिल करना आवश्यक था, लेकिन वे उक्त सारणी के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित मास के लिए उक्त विवरण नियत तिथि तक दाखिल करने में असफल रहे थे, उक्त सारणी के खाना (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित अवधि के लिए, प्रतिवर्ष ब्याज की दर 'शून्य' अधिसूचित करते हैं, अर्थातः–

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग	मास	वह अवधि, जिसके लिए ब्याज शून्य होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तिथि तक दिसंबर, 2020 के मास के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने उक्त मास के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करवा दिया था, अर्थात्:– 1. 06AAKCA6148C1C6 2. 06AAHCM7396M1C0 3. 06AACCF0683K1CW	दिसंबर, 2020	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तिथि से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण दाखिल करने की तिथि तक

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग	मास	वह अवधि, जिसके लिए ब्याज शून्य होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
2	इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो निम्नलिखित माल और सेवा कर पहचान संख्या रखते हैं, जो पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ के कारण नियत तिथि तक खाना 3 में उल्लिखित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने उक्त मासों के लिए धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन एकत्रित कर, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करवा दिया था, अर्थात्:– 1. 06AAHCP1178L1CF	सितंबर, 2020, अक्तूबर, 2020, नवंबर, 2020, दिसंबर, 2020 और जनवरी, 2021	उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन संगृहीत कर इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में निक्षेपित करने की तिथि से धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की तिथि तक

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 28th June, 2022

No. 37 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 50 read with section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby notifies the rate of interest per annum to be 'Nil', for the class of registered persons mentioned in column (2) of the Table given below, who were required to furnish the statement in FORM GSTR-8, but failed to furnish the said statement for the months mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table by the due date, for the period mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:–

TABLE

Serial Number	Class of registered persons	Months	Period for which interest is to be Nil
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act, for the month of December, 2020, by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said month in the electronic cash ledger, namely :– 1. 06AAKCA6148C1C6 2. 06AAHCM7396M1C0 3. 06AACCF0683K1CW	December, 2020	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.

Serial Number	**Class of registered persons**	**Months**	**Period for which interest is to be Nil**
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Electronic commerce operators having the following Goods and Services Tax Identification Numbers who could not file the statement under sub-section (4) of section 52 of the said Act for the months mentioned in column (3), by the due-date, due to technical glitch on the portal but had deposited the tax collected under sub-section (1) of section 52 for the said months in the electronic cash ledger:– 1. 06AAHCP1178L1CF	September, 2020, October, 2020, November, 2020, December, 2020 and January, 2021.	From the date of depositing the tax collected under sub-section (1) of section 52 of the said Act in the electronic cash ledger till the date of filing of statement under sub-section (4) of section 52.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.